कार्यालय कलेक्टर, जिला– सुकमा (छ0ग0)

विज्ञापन क्र./2550/विशेष भर्ती/2021 सुकमा, दिनांक 26/10/2021

//प्रेस विज्ञप्ति//

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–8/2019/1/एक, दिनांक 04.09.2019 के तहत् गठित विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जगदलपुर बस्तर संभाग द्वारा संभाग के अन्तर्गत सुकमा जिले के स्थानीय निवासियों से जिले के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) के **सहायक ग्रेड–03** एवं चतुर्थ श्रेणी के **भृत्य के** रिक्त पदों की भर्ती किया जाना है।

रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सुकमा जिले के ही पात्र व इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र **विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर** के वेबसाईट www.jssbbastar.cgstate.gov.in पर दिनांक 01.11.2021 से आमंत्रित किये जाते हैं।

2. **परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –**

1.	परीक्षा की तिथि	**केवल सहायक ग्रेड–03 हेतु**	:– 02.01.2022 दिन रविवार
2.	परीक्षा का समय		:–सुबह 11.45 से 2.00 बजे
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि		:– 01.11.2021
4.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि		:– 23.11.2021

3. **परीक्षा/आवेदन शुल्क :– तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड–03) व चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) हेतु पृथक–पृथक शुल्क जमा किया जाना होगा।**

सामान्य वर्ग	– 350/–
अन्य पिछड़ा वर्ग	– 250/–
अनु.जाति/अनु.ज.जाति/दिव्यांगजन	– 200/–

उक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एवं विज्ञापन का विस्तृत विवरण विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जगदलपुर, बस्तर संभाग के वेबसाइट www.jssbbastar.cgstate.gov. in /कार्यालय कलेक्टर, सुकमा के वेबसाईट एवं सूचना पटल पर भी उपलब्ध है। आवेदक द्वारा दिनांक 01.11.2021 से ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेंगे। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

Handaw.
कलेक्टर
जिला सुकमा (छ.ग.)

पृ0क्र./2550ए/विशेष भर्ती/2021 सुकमा, दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपिः–

1. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, ... जिला सुकमा को दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

Handaw.
कलेक्टर
जिला सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला–सुकमा (छ0ग0)

//विज्ञापन//

विज्ञापन क्र./2552/विशेष भर्ती/2021/ दिनांक 26/10/2021

तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड–03) एवं चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) पदों पर सीधी भर्ती हेतु एकीकृत विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–8/2019/1/एक, दिनांक 04.09.2019 के तहत् बस्तर संभाग के अन्तर्गत जिला सुकमा के स्थानीय निवासियों से जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु जिले के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक को छोड़कर) के **सहायक ग्रेड–03** एवं चतुर्थ श्रेणी के **भृत्य के** रिक्त पदों को **''विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड''**, बस्तर संभाग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु प्रतियोगी परीक्षा/चयन के लिए सुकमा जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र **विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर** के वेबसाईट www.jssbbastar.cgstate.gov.in पर दिनांक 01.11.2021 से आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

1. **रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :–**

1.तृतीय श्रेणी

सहायक ग्रेड–3, (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड, वेतन लेवल–4)

क्र	विभाग का नाम	अनारक्षित					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					कुल रिक्तियों में से स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
		मु.	म.	वि.	भू. पु. सै	योग	मु.	म.	वि.	भू. पु. सै	योग	मु.	म.	वि.	भू. पु. सै	योग	मु.	म.	वि.	भू. पु. सै	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	राजस्व विभाग	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	07
2	जिला कोषालय	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सुकमा	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	पशु चिकित्सा विभाग	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सुकमा	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	जिला शिक्षा अधिकारी	0	0	0	0	0	3	2	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
7	खाद्य विभाग	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	जिला निर्वाचन	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	योगः–	1	1	0	0	2	23	6	2	1	32	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	36

टीप :— रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती हैं।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :— 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

2. मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त संस्था से (छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–1–3/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 06.11.2019 में उल्लेखित अनुसार) कम्प्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

3. कम्प्यूटर में हिन्दीं टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिये।

2.चतुर्थ श्रेणी

भृत्य, (वेतनमान 4750—7440+1300 ग्रेड, वेतन लेवल—1)

क्र	विभाग का नाम	अनारक्षित					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					कुल रिक्तियों में से स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित	कुल योग
		मु.	म.	वि.	भू.पु.सै	योग	मु.	म.	वि.	भू.पु.सै	योग	मु.	म.	वि.	भू.पु.सै	योग	मु.	म.	वि.	भू.पु.सै	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	राजस्व विभाग	0	0	0	0	0	9	5	2	3	19	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	21
2	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	पशु चिकित्सा विभाग	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सुकमा	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	जिला शिक्षा अधिकारी	5	0	0	3	8	61	27	7	27	122	2	0	0	0	2	6	1	0	1	8	7	140
6	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सुकमा	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	योगः—	6	0	0	3	9	77	33	10	30	150	3	0	0	0	3	7	1	0	1	9	10	171

टीप :— रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती हैं।

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :— कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।

2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है —

1. परीक्षा की तिथि } केवल सहायक ग्रेड—03 हेतु :— 02.01.2022 दिन रविवार
2. परीक्षा का समय } केवल सहायक ग्रेड—03 हेतु :— सुबह 11.45 से 2.00 बजे
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि :— 01.11.2021
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि :— 23.11.2021

3. परीक्षा/आवेदन शुल्क :— तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड—03) व चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) हेतु पृथक—पृथक शुल्क जमा किया जाना होगा।

सामान्य वर्ग	— 350/—
अन्य पिछड़ा वर्ग	— 250/—
अनु.जाति/अनु.ज.जाति/दिव्यांगजन	— 200/—

4. नियम एवं शर्तें :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर समीपस्थ अन्य जिले में परीक्षा केन्द्र आबंटित किये जा सकते हैं।
3. <u>आयु सीमाः–</u> दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। **छ0ग0शासन, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05 की छूट देय होगी।** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **दिव्यांगजन** उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।

   उच्चतर आयु सीमा में छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

4. <u>स्थानीय निवासीः–</u> सुकमा जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र में सुकमा जिले का ही स्थानीय निवासी मान्य किया जावेगा।
5. <u>आवश्यक दस्तावेजः–</u>आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/प्रमाण पत्र, हायर सेंकेण्डरी स्कूल की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
6. <u>परीक्षा योजना एवं अनुभव का अंकः–</u>

   (I) तृतीय श्रेणी के पद हेतु लिखित परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक होगा। लिखित परीक्षा एवं अनुभव के अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जावेगा। चयन हेतु कौशल परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

   (II) किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन/तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत् सहायक ग्रेड–3 को नियुक्ति में अनुभव का अतिरिक्त अंक दिया जावेगा। प्रतिवर्ष अनुभव के लिये 02 अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। 01 वर्ष की गणना नियुक्ति तिथि से न्यूनतम 09 माह की सेवा अवधि को 01 वर्ष मान्य किया जा सकेगा। <u>नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।</u> अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

7. **चतुर्थ श्रेणी** के रिक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को 90% का अंक भार दिया जावेगा। अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं अनुभव के लिए निर्धारित अंक को जोड़ कर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

8. **चतुर्थ श्रेणी** (भृत्य) पद हेतु उक्त पद से संबंधित कलेक्टर दर/संविदा/तदर्थ नियुक्ति आदि अन्य आकस्मिक निधि में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 10 अंक अनुभव के लिए प्रदान किया जावेगा। प्रतिवर्ष अनुभव के लिये 02 अंक प्रदान किया जावेगा। यथा – 01 वर्ष अनुभव के लिए 02 अंक तथा 05 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित रहेगा। 01 वर्ष की गणना नियुक्ति तिथि से न्यूनतम 09 माह की सेवा अवधि को 01 वर्ष मान्य किया जा सकेगा।

9. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना फलक पर एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाईट एवं सुकमा जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

10. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

11. अभ्यर्थी को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

12. **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्रः–**यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

14. **परिवीक्षा अवधिः–**चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(क) चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में छ0ग0शासन, **वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020** के अनुसार निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

15. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं दिया जावेगा।

16. तृतीय श्रेणी पदो के लिए उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा ली जावेगी । शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।

17. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. ऑनलाइन दर्ज किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेंवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. **अनर्हताः—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः—

I) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

II) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

III) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

IV) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

20. ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हैं या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
प्रतीक्षा सूचीः— प्रतीक्षा सूची विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
21. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
22. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।
23. विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के आवेदकों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों में 20% वरीयता दी जाएगी।
24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

कलेक्टर
जिला सुकमा (छ.ग.)

पृष्ठ.क्रमांक / 2552A / विशेष भर्ती / 2021 / परीक्षा सुकमा दिनांक 26 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त एवं अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बस्तर संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. संचालक छ.ग. शासन जनसम्पर्क विभाग नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सुकमा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सुकमा की ओर सूचनार्थ । कृपया जिले के वेबसाईट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
7. सर्व कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0),..., जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
8. सर्व कार्यालय तहसीलदार, ...जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, सुकमा की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
10. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन जिला सुकमा को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
11. नगर पालिका सुकमा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
12. सर्व कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,... जिला सुकमा को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
13. संचालक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, कचहरी परिसर, होमगार्ड कार्यालय के पीछे, रायपुर (छ.ग.) को प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।

Handaw

कलेक्टर

जिला सुकमा (छ.ग.)